न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 41/2017 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2017/00171

1. मु. परमजीत कौर पत्नि गिरदावर सिंह
2. गुरजन्टसिंह पुत्र गिरदावर सिंह जाति जट सिख
3. बसन्त सिंह पुत्र गिरदावर सिंह जाति जट सिख
4. कलविन्द्र सिंह पुत्र बाघसिंह निवासी चक 45 एलएलडब्ल्यू तहसी पदमपुर
5. मु. गुरदेवकौर पत्नि मधरसिंह
6. मु. गुरमीत कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह
7. अमनप्रीत सिंह पिसरान बलविन्द्र सिंह नाबालिग जरिये कुदरती माता मु. गुरमीत कौर पत्नि बलविन्द्र कौर
8. मु. काजु पिसरान बलविन्द्र सिंह नाबालिग जरिये कुदरती माता मु. गुरमीत कौर पत्नि बलविन्द्र कौर
9. मु. बीरो पुत्री मध सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
10. मु. पम्मी पुत्री मध सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह जाति नाई निवासी सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. सरपंच पंचायत नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थित: श्री रामचंद्र सिंह भाटी — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री प्रेमप्रकाश मदान — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 25.04.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 05.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 45 एलएलडब्ल्यू में मुरब्बा नंबर 57 में किला नंबर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा भूमि, मुरब्बा नंबर 57 में किला नंबर 6 ता 15 तादादी 10 बीघा सामलाती भूमि को सरूपसिंह, बूटासिंह पिसरान मनीसिंह को दिनांक 08.07.1997 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा विक्रय कर दी थी तथा मौके पर भौतिक कब्जा क्रेता को सुपुर्द कर दिया। बैयनामानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी हो गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि बाबत एक वाद घोषणात्मक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष 09.08.2011 को पेश किया जो दिनांक 16.03.2017 को अदम हाजरी, अदम पैरवी निरस्त हो गया। वाद के निरस्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चक 45 एलएलडब्ल्यू के इंतकाल संख्या 118 दिनांक 23.06.1990, इंतकाल संख्या 314 दिनांक 20.08.2008 एवं इंतकाल संख्या 336 दिनांक 11.10.2009 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने दिनांक 05.05.2017 को अपील स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार पदमपुर को रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 05.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हैं

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री रामचंद्र सिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील इंतकाल संख्या 118 दिनांक 23.06.1990, इंतकाल संख्या 314 दिनांक 20.08.2008 एवं इंतकाल संख्या 336 दिनांक 11.10.2009 को निरस्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष पेश कि जो क्षेत्राधिकार में नहीं थी। चक 45 एलएलडब्ल्यू में मुरब्बा नंबर 57 में किला नंबर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा भूमि बागसिंह को तथा मुरब्बा नंबर 57 में किला नंबर 6 ता 15 तादादी 10 बीघा भूमि मधरसिंह को दिनांक 08.07.1977 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा विक्रय कर दीं। साथ ही भौतिक कब्जा क्रेताओं को सुपुर्द कर दिया। उपरोक्त भूमि बैयनामा अनुसार राजस्व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर

रिकार्ड में दर्ज हो गई। रूपसिंह, बूटासिंह पिसरान मनीसिंह को दिनांक 08.07.1997 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा विक्रय कर दी थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि बाबत एक वाद घोषणात्मक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष 09.08.2011 को पेश किया जो दिनांक 16.03.2017 को अदम हाजरी, अदम पैरवी निरस्त हो गया। वाद के निरस्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चक 45 एलएलडब्ल्यू के इंतकाल संख्या 118 दिनांक 23.06.1990, इंतकाल संख्या 314 दिनांक 20.08.2008 एवं इंतकाल संख्या 336 दिनांक 11.10.2009 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत की। कानूनन इंतकाल अपने आप में आदेश नहीं हैं तथा तीनो इंतकालों के विरूद्ध एक साथ अपील पेश नहीं की जा सकती। सन् 1977 में किये गये पंजीबद्ध बैयनामें के विरूद्ध एक लंबे समय के बाद अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो मियाद बाहर थी। अधिनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दु पर विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त अपील मियाद के बिन्दु पर निरस्तनीय थी। इंतकाल एक सरसरी प्रक्रिया है जिससे किसी भी पक्षकार के हक व अधिकार तय नहीं होते। हक अधिकार नियमित वाद से तय किये जाते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने बहस के पक्ष में प्रस्तुत नजीर/आरआरडी/आरआरटी निम्न हैं–

- 2018 (3) DNJ पेज संख्या 127
- आर.आर.डी. 1999 पेज संख्या 232
- आर.आर.टी. 2012(1) पेज संख्या 374
- आर.आर.डी. 1998 पेज संख्या 370
- आर.आर.डी. 1999 पेज संख्या 514
- आर.आर.टी. 2010(2) पेज संख्या 1317
- आर.आर.टी. 2018(2) पेज संख्या 1154
- आर.आर.टी. 2017(1) पेज संख्या 117
- 2019 (3) DNJ पेज संख्या 186

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री प्रेम प्रकाश मदान ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का जो इंतकाल दर्ज किया गया है वह बैयनामें के अनुसार किया गया है, परंतु जिस व्यक्ति द्वारा बैयनामा किया गया है उसको भूमि बेचान करने का कोई अधिकार ही नहीं था। जमाबन्दी में भूमि उनके नाम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दर्ज ही नहीं थी। सरूपसिंह व बूटासिह पिसरान मनीसिंह ने जरिये बैयनामा 20 बीघा भूमि बेच दी जबकि वे केवल 4 बीघा 3–1/3 बिस्वा के ही मालिक खातेदार थे जिसका अवलोकन जमाबन्दी सम्वत् 2033 व 2045 में दर्ज है। इसप्रकार बैयनामा शून्य प्रभावी है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने बहस के पक्ष में प्रस्तुत आरआरडी/एआइआर निम्न हैं–

- आर.आर.डी. 1992 पेज संख्या 492
- आर.आर.डी. 1979 पेज संख्या 550
- एआइआर 2010 (एपी) पेज संख्या 99

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अतः प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 05.05.2017 जिसके द्वारा तहसीलदार पदमपुर को प्रकरण में दोनो पक्षों के साक्ष्य एवं पूर्व के रिकार्ड की संपूर्ण जांच के पश्चात् इंतकाल दर्ज करने के जो आदेश दिये गये है, को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर